अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, समस्तीपुर

सूचना

बी0एड0 सत्र–2018–20 में नामांकन के लिए निदेशक (शोध एवं प्रशिक्षण), शिक्षा विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–347, दिनांक–30.07.2018 द्वारा प्राप्त सूची में चयनित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक–06.08.2018 (सोमवार) से 08.08.2018 (बुधवार) तक महाविद्यालय में उपस्थित होकर अपने सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण–पत्र एवं उसकी दो स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति (दो फोलडर फाईल में) एवं नीचे दिये गये सभी प्रमाण पत्रों के साथ काउंसलिंग कराकर नामांकन करा लेंगे। निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर आपके नामांकन का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

1. मैट्रिक या समकक्ष के प्रमाण–पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो।
2. स्नातक/स्नातकोत्तर का मूल अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र।
3. स्नातक/स्नातकोत्तर का CLC/DLC।
4. BSITET/BTET पर नियोजित शिक्षक के लिए BSITET/BTET उत्तीर्णता का प्रमाण–पत्र।
5. नियोजन पत्र।
6. आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी जिला पदाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र।
7. नियोजित कोटि के अभ्यर्थी विद्यालय में कार्यरत रहने का प्रमाण–पत्र जो प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत हो और जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।
8. हाल का खीचा हुआ दो रंगीन फोटो पासपोर्ट साईज का।
9. 100.00 रूपये का स्टांप पेपर पर इस आशय का शपथ–पत्र की उनके द्वारा दिये गये सभी सूचना एवं प्रमाण–पत्र सही हैं। भविष्य में कोई त्रुटि या गलत जानकारी पाये जाने पर उनका नामांकन रद्द कर दिया जायेगा एवं उनके विरूद्ध कानूनो कारवाई की जायेगी।
10. नियोजित शिक्षक को इस आशय का बॉन्ड (दिये गये प्रारूप के अनुसार) देना होगा कि प्रशिक्षण अवधि में सवैतनिक अवकाश इस शर्त के साथ देय होगा कि वे प्रशिक्षण के उपरान्त कम से कम 5 वर्षो का शिक्षण का कार्य करेंगे। विनिश्चित अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति में प्रशिक्षण अवधि में प्राप्त वेतन आदि सरकार के खजाने में जमा करना होगा। वसूलनीय राशि लोक माँग के रूप में वसूलनीय होगी।
11. सक्षम प्राधिकार (नियोजन पदाधिकारी) के द्वारा विधिवत् रूप से सवैतनिक अवकाश की स्वीकृति संबंधी आदेश की कॉपी मूल प्रति।
12. यह प्रशिक्षण सिर्फ उन्हीं अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए किया जायेगा, जिन्होंने एससीईआरटी, पटना में ऑनलाईन आवेदन किया है।
13. किन्हीं दो अभ्यर्थियों की समान योगदान की तिथि होने की स्थिति में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
14. नामांकन हेतु प्रथम वर्ष के लिए 12,500.00 (बारह हजार पाँच सौ) रुपये एवं अनु0जाति/ ज0जाति /निःशक्त के लिए यह राशि 4900.00 (चार हजार नौ सौ) रुपये नामांकन के समय महाविद्यालय के बैंक खाता में जमा करना होगा। यह राशि विद्यार्थियों के मासिक योजना एवं आवास शुल्क को छोड़कर है।
15. किसी भी तरह के दावा का निपटारा नामांकन समिति द्वारा किया जायेगा जो अंतिम होगा।

प्रभारी
1.8.2018.

प्राचार्य,
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय,
समस्तीपुर।